

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर  
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 194/18

निर्णय दिनांक:- 29-01-2020

(आरसीएमएस संख्या 2018/00331)

1. अमीन खॉ पुत्र जीवण खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 6-8 टीडब्ल्यूएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर हाल तहसील बज्जू जिला बीकानेर।

-अपीलांट

-बनाम-

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

-रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 15-04-2015  
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बज्जू

उपस्थिति:-

1. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियों, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-



अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 15-04-2015 जिसके द्वारा अपीलांट का नियमन का प्रार्थना पत्र बिना सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये खारिज किया गया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को चक 6-8 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 125/42 के किला नम्बर 7 ता 10 व मुरब्बा नम्बर 125/58 के किला नम्बर 20 ता 22 बाराणी भूमि का अस्थाई आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन के नियमन हेतु धारा 21 ए अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट के प्रार्थना पत्र को अपीलांट को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदक का प्रकरण उक्त भूमि पर गैर खातेदारी निरस्त किये जाने से संबंधित है, जो न्यायिक है। अतः कृषि भूमि के आवंटन एवं विक्रय

राजस्थान अपील अधिकारी  
बीकानेर

नियम 1975 के नियत 21 -क के तहत प्रकरण नियमन का नहीं होने से प्रस्ताव निरस्त किया जाता है। उक्त आदेश अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस व सूचना दिये मनमाने तरीके से खारिज कर दिया गया।

उन्होंने आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट को नहीं दी गई है। प्रकरण में अपीलांट के पास उक्त भूमि का कब्जा नियमन कराने व नियमानुसार राशि जमा करवाने का ही एकमात्र विकल्प है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।



उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-04-2015 के विरुद्ध अपील दिनांक 07-05-2018 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। प्रकरण में अपीलांट का मामला गैर खातेदारी निरस्त किये जाने से संबंधित होने से अपीलांट को कृषि भूमि के आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 21 - ए के तहत प्रकरण नियमन का नहीं होने से प्रस्ताव खारिज किया गया है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-04-2015 के विरुद्ध अपील दिनांक 07-05-2018 को प्रस्तुत की गई

राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी  
बीकानेर

है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष की तरफ से कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, प्रकरण में अपीलांट चक 6-8 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 125/42 के किला नम्बर 7 ता 10 व मुरब्बा नम्बर 125/58 के किला नम्बर 20 ता 22 बाराणी भूमि का अस्थाई आवंटन किया गया था। उक्त आवंटन के नियमन हेतु धारा 21 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा संबंधित पटवारी से वादग्रस्त भूमि के बाबत रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि है। अदालत मातहत द्वारा उक्त रिपोर्ट के विपरीत जाकर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित करते हुए अभिलिखित किया गया है कि आवेदक का प्रकरण कृषि भूमि के आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 21 - ए के तहत प्रकरण नियमन का नहीं होने से प्रस्ताव निरस्त योग्य है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जाँच नहीं की गई कि क्या वादग्रस्त भूमि अपीलांट को आवंटित थी अथवा नहीं? वादग्रस्त भूमि पर आज दिनांक को अपीलांट का कब्जा काश्त है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा मात्र एक साईक्लोस्टाईल आदेश में खाना-पूर्ति करते हुए अपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने में कानूनी त्रुटि कारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 15-04-2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। तब तक अपीलांट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 29.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(राम रतन सोकरिया)  
राजस्थान अपील अधिकारी  
बोकारनेर प्राधिकारी  
बोकारनेर

